संख्या I-17011/2(6)/2013-एच. III

शहरी विकास मंत्रालय

(आवास-III अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक:- 17 जनवरी, 2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:सरकारी कर्मचारियों को घर/फ्लैट के निर्माण/खरीद के लिए अग्रिम और ऋण राशि पर ब्याज दरें।

अधोहस्ताक्षरी को एतद्द्वारा, अगले आदेश किए जाने तक, सूचना और अनुपालन के लिए, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के दिनांक 3 जनवरी, 2013 के कार्यालय ज्ञापन सं. 5(3)-बी(पीडी)/2012 की छायाप्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है जिसके द्वारा 2012-13 के दौरान अर्थात 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक सरकारी कर्मचारियों को घर/फ्लैट के निर्माण/खरीद के लिए दिए गए अग्रिम और ऋण राशि की सूचना दी गई थी।

(एस.के. राम)

उप वित्तीय सलाहकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. सभी केंद्र शासित प्रदेश।

प्रतिलिपिः

I. निजी सचिव, शहरी विकास मंत्री/निजी सचिव, राज्य मंत्री (शहरी विकास)/निजी सचिव, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री

II. वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव, सचिव (शहरी विकास)/प्रधान निजी सचिव, अपर सचिव (शहरी विकास)/निजी सचिव, सचिव (आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन)

III. शहरी विकास मंत्रालय और आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव/डेस्क अधिकारी/अनुभाग।

IV. सूचना अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय।

V. शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय।

VI. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली।

VII. वित्त मंत्रालय, आर्थिक मामलों के विभाग को उनके कार्यालय ज्ञापन संख्या 5(3)- बी(पीडी)/2012 दिनांक 3 जनवरी, 2013 के संदर्भ में।

VIII. निदेशक, जेसीएम, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली।

IX. तकनीकी निदेशक, एनआईसी, शहरी विकास मंत्रालय को इस अनुरोध के साथ कि इस आदेश को शहरी विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

(कांता सनहोत्रा)

अनुभाग अधिकारी (एच -III)

संख्या 5 (3)-बी(पीडी)/2012
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक मामलों के विभाग
(बजट प्रभाग)

*****

कक्ष संख्या 263-बी, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली, दिनांक 3 जनवरी 2013

कार्यालय ज्ञापन

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि 2012-13 के दौरान अर्थात 1 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक सरकारी कर्मचारियों को घर/फ्लैट के निर्माण/खरीद के लिए दिए गए अग्रिम और ऋण राशि पर ब्याज की दरें, अगले आदेश किए जाने तक निम्नानुसार होंगी:-

खंड	प्रतिवर्ष ब्याज दर प्रतिशत
₹ 50,000/- तक अग्रिम	6.00
₹ 1,50,000/- तक अग्रिम	7.50
₹ 5,00,000/- तक अग्रिम	9.00
₹ 7,50,000/- तक अग्रिम	9.50

शहरी विकास मंत्रालय से अनुरोध किया जाता है कि वह उपरोक्त मुद्दों के संबंध में अपने स्तर पर कार्यालय ज्ञापन जारी करें।

इसे माननीय वित्त मंत्रालय के अनुमोदन से जारी किया गया है।

(ए.के. भटनागर)
अवर सचिव (बजट)
23095085

संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,
शहरी विकास मंत्रालय,
कक्ष संख्या 258-ए,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली